

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयों के संबंध में ब्याज दर हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या - वाई0ई0ए0/वित्त/158/2020 दिनांक 30 जून, 2020 के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2021 से ब्याज दरें निम्नवत् लागू होगी :-

1. प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयों हेतु दिनांक 01.01.2021 से 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर देय होगी। यह ब्याज दर तीन वर्ष की अवधि हेतु एस0बी0आई के एम0सी0एल0आर0 दर के आधार पर शासनादेश में उल्लिखित फार्मूले के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को पुर्ननिर्धारित की जायेगी।
2. समय से देयों को भुगतान न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज दर  $(8.5\% + 3\%) = 11.50\%$  प्रतिशत (प्रत्येक 06 माह में कम्पाउंडिंग करते हुये) लागू होगी।
3. उर्पयुक्त दरें दिनांक 01.01.2021 से लागू होंगी।
4. एस0बी0आई0 पी0एल0आर0 पर आवंटित परिसम्पत्तियों के लिये उनके आवंटन पत्र/लीज डीड उल्लिखित शर्तों के अनुसार ब्याज देय होगा।

(डा0 अरुण वीर सिंह)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0/आर0) को सूचनार्थ।
2. संबंधित समस्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
3. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. गार्ड फाईल।

21/1/21  
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

**यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक- पी-2, सेक्टर-आमेगा-1 ग्रेटर नोएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)  
दूरभाष न0 - 0120 - 2395151 एवं 53, फैक्स न0 - 0120 - 2395150